राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–222/2015

1. तेजाराम पुत्र कुनणराम
2. देशराज पुत्र कुनणराम
3. उमीर सिंह पुत्र कुनणराम
   समस्त जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं।

..........वादी

बनाम

1. मैना पत्नी सुलतान जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं।
2. राकेश पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं।
3. सुनीता पत्नी सत्येन्द्र पुत्री सुलतान जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान हाल आबाद रामबास तह0 नारनौल व जिला महेन्द्रगढ हरि0
4. नित्यानंद पुत्र चन्द्रभान
5. सतवीर पुत्र चन्द्रभान
6. सुखीराम पुत्र जमनाराम
7. कवंरसिंह पुत्र जमनाराम
   समस्त जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं।
8. बिमला पुत्री जमनाराम पत्नी शीशराम
9. राजबाला पुत्री जमनाराम पत्नी बाबुलाल
   समस्त जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं हाल आबाद कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
10. देशराज पुत्र श्रीराम
11. जगमाल पुत्र श्रीराम
12. राजेश पुत्र श्रीराम
13. खेताराम पुत्र रोहतास
14. ईश्वर पुत्र रोहतास
15. शेरसिंह पुत्र प्रहलाद
    समस्त जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं।
16. शाति पुत्री कालू पत्नी भागीरथ (मृतक)
    16/1 औमप्रकाश माता शाति पुत्री कालू पत्नी भागीरथ
    16/2 कंवरसिंह माता शाति पुत्री कालू पत्नी भागीरथ
    16/3 अमरसिंह माता शाति पुत्री कालू पत्नी भागीरथ
    16/4 सुरतसिंह माता शाति पुत्री कालू पत्नी भागीरथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

16/5 कपिल पुत्र सुमेरसिंह
16/6 मंजू पत्नी सुमेरसिंह
16/7 चन्द्रकलां पुत्री शांति देवी
16/8 प्रमोद पुत्री शांतिदेवी
समस्त जाति अहीर निवासी सांतडियां तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं।
17. सरती पुत्री कालू पत्नी बनवारीलाल
18. तारावती पुत्री कालू पत्नी उकारमल
19. भतेरी पत्नी अशोक
समस्त जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं
20. राज. सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11/7/22

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

वाके ग्राम रायपर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 598 रकबा 0.16, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.20 है0 में वादीगण का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 लगायत 9 का हिस्सा 1/20 व प्रतिवादी सं0 10 व 12 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 व 14 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 का 1/20 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 16 लगायात 19 का 1/4 हिस्सा है जो हाल जमाबंदी में दर्ज है। खातेदार मानू, रामप्रसाद पुत्रान गोपाल का देहान्त हो चुका है। जिसकी हिस्से की भूमि उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं 1 लगायत 15 का 1/2 भाग व शेष हिस्से का 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 16 लगायत 19 काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी होने से वादीगण को अपने हिस्से की भुमि का सुधार करने एवं लगान आदि जमा करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तथा किसान कार्ड बनाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि –

(क). वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 598 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.20 है. किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/4 भाग का खाता विभाजन करते हुये लगान अलहेदा से [illegible] करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 19 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रतिवादी संख्या 19 का प्रतिदावा रहा कि–

वाके ग्राम रायपुर अहीरान तह0 बुहाना स्थित हाल खसरा नम्बर 598, खसरा नम्बर 599, किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 में प्रतिवादी संख्या 19 अपने 1/16 हिस्सा की खरीद शुदा खातेदार है तथा खातेदार मानुराम व रामप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। उनके मानुराम के कोई संतान नही थी एवं रामप्रसाद के एक पुत्री थी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिये उनके हिस्से में से अर्थात 1/4 हिस्सा में से 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा उसे उत्तराधिकार में मिल गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 19 का कुल 1/8 हिस्सा है। जिस पर वह काबिज है। अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 19 का 1/8 हिस्सा है लेकिन उसके नाम केवल 1/16 हिस्सा ही है एवं 1/16 हिस्सा की भूमि उसे उत्तराधिकार में मिली है इस प्रकार 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 की है। प्रतिवादी संख्या अपनी खातेदारी की भूमि 1/8 हिस्सा का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 19 प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 598, खसरा नम्बर 599 किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 में प्रतिवादी संख्या 19 का 1/8 हिस्सा घोषित कर प्रतिवादी संख्या 19 के 1/8 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने की कृपा करें एवं प्रतिवादी संख्या 19 का खसरा नम्बर 599 में दक्षिण तरफ रास्ता के सहारे 0.0450 है0 रकबा दिये जाने को प्राथमिकता दिये जाने की कृपा करें।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल नक्शा किस्तवार, नकल नक्शा किस्तवार, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, नकल पेश किए गए।

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 28.05.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव [illegible] बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त हुई। उभय पक्षका[illegible]यालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार [illegible] द्वारा वि[illegible] प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा वि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा खाता व लगान विभाजन, को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 598, खसरा नम्बर 599 किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 11/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.—222 / 2017
निर्णय दिनांकः— 11/7/22

तेजाराम आदि **बनाम** मैना आदि

दावा बाबत— खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र यादव एडवोकेट** व प्रतिवादी सं. 19 की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिती मे एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/7/22... को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा खाता व लगान विभाजन, को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 598, खसरा नम्बर 599 किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिंस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/7/22........... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
... कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)